

2025/80

8 -

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चितौडगढ़ (राज०)
प्राथना पत्र संख्या :- 16 / 2025 दिनांक 28/4/25

अनवान

मेवाबाल पिला होजाजी गुर्जर निवासी

भाडना तहसील

प्रार्थी / प्रार्थीगण

यनाम

श्रीमान श्री शशि जी लखी लाल ए. ए. ए. ए. ए.

जिला चितौडगढ़ (राज०)

विपक्षी / विपक्षीगण

आदेश प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करनेः

न्यायालय में अधिवक्ता श्री V. P. Sharma के द्वारा एक प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जाँच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जाँच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा भाडना पटवार हल्का सुवाविकी की आराजी संख्या 7.110/57 कुल कीता-0.1 कुल रकबा 0.8090 कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्राथना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी / प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्राथना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा भाडना पटवार हल्का सुवाविकी की आराजी संख्या 7.110/57 कुल कीता-0.1 कुल रकबा 0.8090 भूमि की पत्थरगढी हेतू सूचना पत्र जारी कर

प्रार्थी / प्रार्थीगण एवं विपक्षी / विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 2500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्राथना पत्र
कीता- (2)

उपखण्ड अधिकारी, बेगू
जिला चितौडगढ़(राज.)

क्रमांक / सरिश्ता / 2025/ 216

प्राथना पत्र संख्या 16/25 व अनवान मेवाबाल पिला प्राथना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, बेगू
जिला चितौडगढ़(राज.)